सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः— 146 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :—19.07.2024

GCMS ID—2024 / 223

उनवान

1. भंवरलाल आ0 जुवाना जाति गुर्जर निवासी ग्राम अणतगंज तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. गोपाललाल आ0 नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम अणतगंज तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. शोजी आ0 रामनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम अणतगंज तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. उदालाल आ0 देवा जाति गुर्जर निवासी ग्राम अणतगंज तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :— पेरोकार सरकार

संशोधित आदेश दिनांक : 30.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खसरा संख्या 106 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा संख्या 109 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा संख्या 111 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 124 रकबा 0.8903 हैक्टेयर, खसरा संख्या 125 रकबा 0.3723 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.0558 हैक्टेयर वाके ग्राम अणतगंज पटवार मण्डल अणतगंज तहसील हिण्डोली में विस्थित है, जो जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 की खतोनी संख्या 97 में प्रार्थीगण क नाम खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 124 व 125 पर आने जाने हेतु रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं है, और न ही मौके पर स्थायी रास्ता है, उक्त भूमि पर आने जाने का रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि उपकरण, टेक्टर, ट्रोली लाने ले जाने बडी दिक्कत आती है, इसलिए प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा संख्या 77 में 15 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ग्राम अणतगंज के स्थायी निवासी है, और ग्राम अणतगंज की आबादी भूमि से देवनारायण मंदिर तक खसरा संख्या 57 में ग्राम पंचायत अणतगंज द्वारा सी0सी सडक बना रखी है, और उक्त सी0सी0 सडक के बाद खसरा संख्या 77 सिवायचक भूमि प्रारम्भ होती है, प्रार्थीगण खसरा संख्या 57 मे बनी हुई सी0सी0 से खसरा संख्या 77 सिवायचक भूमि में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 124, 125 तक 15 फिट चोडा रास्ता घोषित करवाना चाहते है, उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को अन्यन्त

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

आवश्यकता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शे कें रूप में प्रस्तावित किया गया। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ते के अनुरूप रास्ते की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खसरा संख्या 77 में घोषित रास्ते की किस्म रास्ता अंकित करवाकर घोषित रास्ते की नक्शे में तरमीम करवाने व रास्ते को सुचारू करवाना चाहते है साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा घोषित किये जाने वाले रास्ते की प्रतिकर राशि न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थीगण राजकोष में जमा करवाने को तत्पर है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 124, 125 वाके ग्राम अणतगंज पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है, और न ही व्यक्तिगत रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ते की प्रार्थीगण को अन्यन्त आवश्यकता है। श्रीमान को 251 ए आर0टी0एक्ट के तहत उक्त प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार प्राप्त है व रास्ता घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अणतगंज की आबादी भूमि से देवनारायण के मन्दिर तक खसरा संख्या 57 में बनी हुई सी0सी0 सडक से पूर्व दिशा में विस्थित सिवायचक भूमि खसरा संख्या 77 में प्रस्तावित नक्शे के मुताबिक प्रार्थीगण की खाते की भूमि खसरा संख्या 124, 125 तक 15 फिट चोडा रास्ता घोषित किया जाकर रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर रास्ते की तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सरकार की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/604 पत्रांक 621 दिनांक :–02.05.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 124, 125 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम अनन्तगंज पटवार मण्डल अनन्तगंज में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 77 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, में से होते हुए 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 76, 77 में से 13 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 97 के खसरा संख्या 125 वाके ग्राम अनन्तंगज पटवार मण्डल अनन्तंगज में आने–जाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अनन्तगंज के राजकीय सिवायचक खसरा संख्या 76(गै0मु0 चबूतरा) में से कुल 13 फीट चौडे रास्ते में कुल 0.0421 हैक्टेयर भूमि व राजकीय सिवायचक खसरा सं0 77(गै0मु0 बरडा) मे से कुल 13 फीट चौडे रास्ते में कुल 0.055 हैक्टेयर भूमि दोनो ख0नं0 मे से 120 फीट लम्बे 11 फीट चौडे रास्ते में कुल भूमि 0.0971 है0 भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 1140000 / रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0971 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 110694 / रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 221388 / रू को निर्धारित मद में प्रार्थीगण द्वारा जमा करवाकर चालान प्रति न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 30.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446